UPGB010048492023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट गौतमबुद्धनगर

परिवाद संख्या 565/2023
राजू पुत्र जयवीर बनाम सचिन आदि

09.06.2026

पत्रावली प्रस्तुत। बार–बार पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि परिवादी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध इस कथन के साथ आवेदन दिया है कि वह जे0पी0 अमन सोसायटी में डिपार्टमेंटल स्टोर होलसेल मार्ट पर स्टोर कीपर की नौकरी करता है। स्टोर का कुछ सामान सचिन नाम का लड़का, जो माल देने आता है, लेकर चला गया, और वापस नहीं किया। जब उसने दिनांक 18.12.2022 को मांगा तो उसने प्रार्थी के साथ गालीगलौज व जातिसूचक शब्दो का प्रयोग कर कॉलर पकड लिया तथा बाहर देख लेने की धमकी दी। प्रार्थी थोड़ी देर बाद बाहर गया तो विपक्षी सचिन व अन्य अज्ञात ने प्रार्थी पर लाठी डंडो से हमला कर दिया, प्रार्थी साईड हो गया तो वह डंडा सचिन को लग गया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्वयं को धारा 200 दं0प्र0सं0 में प्रस्तुत किया है तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 में अनिल पुत्र सन्नी को परीक्षित कराया है जिसके बयान में यह आया है कि वह ऑटो रिक्शा चलाता है, उस दिन ए0टी0एस0 गोल चक्कर पर अपना ऑटो रिक्शा खड़ा करके सवारियों का इंतजार कर रहा था, तभी राजू, जो मेरे गांव का है, जो ए0टी0एस0 गोल चक्कर की तरफ दौडकर आ रहा था, उसके पीछे तीन लड़के दौड़ रहे थे जिनमें एक के हाथ में तमंचा व दूसरे के हाथ में डंडा था, राजू ने मुझे देखा तो मेरे पास आ गया तथा मेरे साथ रवि भी खड़ा था वह भी ऑटो चलाता है। मुझे व रवि को देखा तो वह तीनों लोग वहां से भाग गये। अगर हम लोग मौके पर नहीं पहुंचते तो उपरोक्त तीनो लोग राजू को जान से मार देते।

उक्त साक्षी के बयान में परिवादी के साथ मारपीट, गालीगलौज एवं जातिसूचक शब्दो का प्रयोग किये जाने संबंधी कोई कथन नहीं है। इस प्रकार वादी मुकदमा के कथन के समर्थन में साक्ष्य का अभाव है, अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मामला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आकृष्ट नहीं करता है। अतः प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद संख्या 565/2023 अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 में निरस्त किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार अभिसंचित हो।

(सोमप्रभा मिश्रा)
(J.O. Code-UP06136)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

Digitally signed by SOMPRABHA MISHRA
Date: 2026.06.09 15:33:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court